न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–द्वितीय/

विशेष न्यायाधीश, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, बहराइच

उपस्थितः अनिल कुमार–XII (उच्चतर न्यायिक सेवा)

प्रकीर्ण वाद संख्या–218/2024

UPBH010070292024

राजेन्द्र, आयु 40 वर्ष लगभग, पुत्र बाऊर, निवासी ग्राम टेपरा, दा० हेमरिया, परगना फखरपुर, तहसील महसी, थाना कोतवाली देहात, जिला बहराइच।

-----आवेदक।

प्रति

1– जात जायदाद (तीरथराम उर्फ झगरू, उम्र 50 वर्ष, पुत्र दुलारे––ल्यूनेटिक),
2– ननकऊ, आयु 65 वर्ष, पुत्र बैजनाथ, निवासीगण ग्राम टेपरा, दा० हेमरिया, परगना फखरपुर, तहसील महसी, थाना कोतवाली देहात, जिला बहराइच। एवं
3– सरकार उ०प्र० द्वारा कलेक्टर, बहराइच,
4– शाखा प्रबन्धक, इण्डियन बैंक, शाखा बेड़नापुर, बहराइच,
5– सब–रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री कार्यालय, महसी, बहराइच, एवं
6– कल्पना देवी, पत्नी तीरथराम उर्फ झगरू, निवासी हेमरिया, फखरपुर, बहराइच।

----विपक्षीगण।

अंतर्गत धारा–14 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
एवं नेशनल ट्रस्ट ऐक्ट, 1999

निर्णय

1– आवेदक राजेन्द्र की ओर से प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद अंतर्गत धारा 14 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं नेशनल ट्रस्ट ऐक्ट, 1999 इस न्यायालय के समक्ष स्वयं को मानसिक दिव्यांग (ल्यूनेटिक) व्यक्ति श्री तीरथराम उर्फ झगरू निवासी ग्राम टेपरा, दा० हेमरिया, परगना फखरपुर, तहसील महसी, जिला बहराइच के शरीर एवं सम्पत्ति का संरक्षक नियुक्त किये जाने हेतु इस न्यायालय के समक्ष संस्थित किया गया है।

2– आवेदक का प्रार्थनापत्र में संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि आवेदक राजेन्द्र यादव के पिता तीन सगे भाई थे। सबसे बड़े दुलारे थे। दुलारे की मृत्यु दिनांक

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.22 16:10:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

24.04.2024 को हो गयी है। प्रार्थी उक्त दुलारे का सगा भतीजा है। दुलारे की पत्नी का देहान्त उनके जीवनकाल में हो गया था। दुलारे उपरोक्त का एक किता मकान ग्राम टेपरा, दा० हेमरिया में एवं ग्राम हुसैनपुर, हेमरिया में काश्तकारी कीमती जमीन है। दुलारे जब तक जीवित रहे, तब तक अपनी सम्पत्ति पर काबिज और दखील रहे तथा दुलारे की मृत्यु के बाद उनके सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति का स्वामी उनका एकमात्र पुत्र विपक्षी संख्या–1 तीरथराम उर्फ झगरू हुआ। तीरथराम उर्फ झगरू लो आई०क्यू० एवं लो अंडरस्टैण्डिंग का व्यक्ति है, अपना भला बुरा समझने में असमर्थ है एवं पैदाइशी ल्यूनेटिक है, जिस कारण गांव जवार के कुछ व्यक्ति कई वर्षों से दुलारे की सम्पत्ति को हड़पने के लिये षड्यंत्र कर रहे हैं और उसी के तहत कई फर्जी दस्तावेज फर्जी तरीके से बनवाकर सम्पत्ति हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। तीरथराम उर्फ झगरू मानसिक अस्वस्थता के कारण अपना व अपने सम्पत्ति का देख–रेख करने में असमर्थ है। प्रार्थी तीरथराम का चचेरा भाई है और तीरथराम की परवरिश व देखरेख व उसके सम्पत्ति का प्रबन्ध करने का इच्छुक है। आवेदक जीवनपर्यंत तीरथराम उर्फ झगरू की शरीर व सम्पत्ति की देखरेख करेगा। राजस्व न्यायालय द्वारा फर्जी तरीके से उक्त तीरथराम उर्फ झगरू की सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द से रोकने हेतु रोका गया है, इसके बावजूद भी षड्यंत्रकारी फर्जी दस्तावेज के आधार पर तीरथराम उर्फ झगरू की सम्पत्ति को हासिल करने के जुगाड़ में हैं। फर्जीकृत में इण्डियन बैंक शाखा बेड़नापुर का प्रबन्धक व सब–रजिस्ट्रार महसी के बीच दुरभि संधि है, इसलिये उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

अतः उपरोक्त आधार पर प्रार्थना है कि प्रार्थी को तीरथराम उर्फ झगरू के शरीर का संरक्षक व सम्पत्ति का प्रबन्धक नियुक्त किया जावे।

3– आवेदक द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में सूची 5–ग/1 व 5–ग/2 के माध्यम से छायाप्रति आधार कार्ड स्वयं, छायाप्रति खतौनी 12 अदद कागज संख्या 5–ग/3 लगायत 5–ग/35 एवं सूची दिनांकित 07.05.2025 के माध्यम से छायाप्रति रिपोर्ट कोतवाली देहात, छायाप्रति जी०डी० एवं छायाप्रति राशन कार्ड व छायाप्रति परिवार रजिस्टर नकल एवं सूची 12.09.2025 के माध्यम से छायाप्रति बैनामा तथा सूची दिनांकित 06.01.2026 के माध्यम से नकल दावा प्रस्तुत किया गया है।

4– आवेदक के उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर विपक्षीगण को नोटिस जारी की गयी। विपक्षी संख्या–2 की ओर से जरिए विद्वान अधिवक्ता लिखित कथन क–28 प्रस्तुत किया गया। विपक्षी संख्या–3 व 5 की ओर से तामीला पर्याप्त मानते हुए उनके

विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी तथा विपक्षी संख्या–4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता का पावर दाखिल है परन्तु उनकी ओर से प्रस्तुत प्रकरण में कोई बल नहीं दिया गया।

आपत्तिकर्ता श्रीमती कल्पना देवी एवं विपक्षी संख्या–1 तीरथराम उर्फ झगरू (ल्यूनेटिक) की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र 23–ग अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी०पी०सी० प्रस्तुत करते हुए स्वयं को मुकदमा पक्षकार बनाये जाने की प्रार्थना की गयी, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.2025 को उक्त आपत्तिकर्ता को बतौर विपक्षी संख्या–6, प्रस्तुत प्रकरण में स्थापित किये जाने का आदेश पारित हुआ, जिसके अनुक्रम में आपत्तिकर्ता बतौर विपक्षी संख्या–6 स्थापित है।

5– विपक्षी संख्या–1 तीरथराम उर्फ झगरू की ओर से अपनी आपत्ति ग–17 एवं विपक्षी संख्या–6 कल्पना देवी की ओर से आपत्ति दिनांकित 18.07.2025 प्रस्तुत की गयी।

6– विपक्षी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति ग–17 में कथन इस प्रकार हैं कि आवेदक ने शिजरा खानदान गलत दर्शाया है। प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की शादी हो चुकी है तथा उसकी पत्नी कल्पना एवं एक पुत्र हर्ष है, जिनके साथ प्रार्थी/आपत्तिकर्ता निवासरत है। प्रार्थी के पिता दुलारे की मृत्यु हो चुकी है। उनकी समस्त चल–अचल सम्पत्ति के जायज व कानूनी वारिस प्रार्थी ही है तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। प्रार्थी/आपत्तिकर्ता पूर्ण रूप से स्वस्थ है तथा अपना अच्छा बुरा सोचने समझने की शक्ति है तथा अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति को बेचने व प्रबन्ध करने में पूर्णतया सक्षम है। प्रार्थी की सम्पत्ति आवेदक हड़पना चाहता है और इसी उद्देश्य से कूटरचित तरीके से गलत तथ्य दर्शाकर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक ने जानबूझकर प्रार्थी की पत्नी को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी, आपत्तिकर्ता का चचेरा भाई है और आपत्तिकर्ता की सम्पत्ति हड़पने के लिये आपत्तिकर्ता की पत्नी के विरुद्ध मुकदमा दायर कर रखा है। आवेदक का प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की सम्पत्ति से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। अतः प्रार्थना है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन क–3 निरस्त किया जावे। प्रार्थनापत्र/आपत्ति शपथपत्र ग–22 से समर्थित है।

7– विपक्षी संख्या–6 कल्पना देवी की ओर से आपत्ति दिनांकित 18.07.2025 में कथन इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी/आपत्तिकर्ता विपक्षी संख्या–1

तीरथराम उर्फ झगरू की पत्नी है तथा दोनों एक साथ रह रहे हैं तथा एक पुत्र हर्ष है, जो भी साथ में रह रहा है। प्रार्थिनी के ससुर दुलारे की मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी समस्त चल अचल सम्पत्ति के जायज व कानूनी वारिस तीरथराम उर्फ झगरू हैं एवं राजस्व अभिलेखों में भी उनका नाम दर्ज है। प्रार्थिनी/आपत्तिकर्ता के पति तीरथराम उर्फ झगरू पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तथा अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की देखभाल करने में पूर्णतया सक्षम हैं तथा प्रार्थिनी के साथ मिलकर सम्पत्ति की देखभाल कर रहे हैं। आवेदक द्वारा प्रार्थिनी के पति की सम्पत्ति हड़पने के उद्देश्य से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। तीरथराम उर्फ झगरू की सम्पत्ति से आवेदक का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। जमीनी विवाद को लेकर मुकदमा चल रहा है। अतः प्रार्थना है कि आवेदक का प्रार्थनापत्र निरस्त किया जावे। आपत्ति शपथपत्र से समर्थित है।

8– आपत्तिकर्तागण/विपक्षी संख्या–1 व 6 की ओर से अपनी आपत्ति के समर्थन में सूची ग–18 के माध्यम से परिवार रजिस्टर नकल, छायाप्रति आधार कार्ड, सूची दिनांकित 22.04.2025 के माध्यम से नकल आदेश परिवार न्यायालय, सुलहनामा डिक्री, नकल अर्जी दावा, परिवार रजिस्टर नकल की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

9– विपक्षी संख्या–2 ननकऊ पुत्र बैजनाथ की ओर से द्वारा विद्वान अधिवक्ता लिखित कथन क–28 मय शपथपत्र ग–29 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद में तीरथराम उर्फ झगरू (ल्यूनेटिक) जन्मजात मानसिक रूप से विकलांग है एवं वह लो आई०क्यू० व लो स्टैण्डिंग वाला व्यक्ति है। तीरथराम उर्फ झगरू की शादी धनदेई के साथ हुई थी। कुछ दिन तीरथ के साथ रही लेकिन उसके पागलपन के कारण उसे छोड़कर करीब 18 साल पहले श्री किशुन पुत्र ननकू निवासी हेमरिया (नयापुरवा) के साथ चली गयी। परिवार रजिस्टर में धनदेई का नाम दर्ज था, जिसे कल्पना देवी ने ग्राम विकास अधिकारी से साजिश कर अपना तथा अपने पुत्र का नाम दर्ज करा लिया था। प्रार्थी ने कई बार ए०डी०ओ० पंचायत व डी०पी०आर०ओ० को शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, परन्तु कल्पना घूस देकर सारी शिकायत दबवा देती है। कल्पना की शादी कभी तीरथराम से नहीं हुई एवं न ही कोई संतान पैदा हुई। कल्पना जाति की कुर्मी है एवं जिसकी शादी शिवशंकर पटेल से हुई है, जिसका राशन कार्ड पंजाब राज्य से बना है। राजेन्द्र प्रार्थी का सगा भतीजा है। दुलारे की मृत्यु के बाद से तीरथ उर्फ झगरू की समस्त चल व अचल सम्पत्ति की देखरेख कर रहा है। तीरथराम उर्फ झगरू की सम्पत्ति का संरक्षक राजेन्द्र को नियुक्त करने में उसे कोई

आपत्ति नहीं है।

10– आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 9–ग पर तत्कालीन जनपद न्यायाधीश, बहराइच महोदय द्वारा आदेश पारित करते हुए प्रस्तुत प्रकरण में ल्यूनेटिक तीरथराम उर्फ झगरू पुत्र दुलारे की मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच से कराने हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात को आदेशित किया गया, जिसके अनुक्रम में प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली देहात द्वारा उक्त सम्बन्धित ल्यूनेटिक तीरथराम उर्फ झगरू का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच द्वारा कराते हुए मेडिकल परीक्षण आख्या इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है–

"As per report of IQ assesment (बुद्धिमत्ता परीक्षण) done by clinical Psychologist in KGMU vide OPD No. UHID20250397470 dated 12.08.2025, the above mentioned person was found to be having SQ/IQ= 80–84, indicated **BORDERLINE** deficite in intellectual and socioadaptive funtioning."

11– उपरोक्त आख्या के अनुक्रम में न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०–1 डा० विजित जायसवाल, मानसिक रोग विशेषज्ञ, महर्षि बालार्क चिकित्सालय, बहराइच एवं सी०डब्लू०–2 देविका राजे, मानसिक रोग विशेषज्ञ, के०जी०एम०यू० का बयान अंकित किया गया एवं जिनसे विपक्षी संख्या–1 व 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह अंकित की गयी।

12– आवेदक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्षी के रूप में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र बतौर पी०डब्लू०–1, मुनीजर का साक्ष्य शपथपत्र बतौर पी०डब्लू०–2, छोटे का साक्ष्य शपथपत्र बतौर पी०डब्लू०–3 प्रस्तुत किया गया है, जिनसे विपक्षी संख्या–1 व 6 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी।

13– विपक्षी संख्या–1 व 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में साक्षी कल्पना यादव का साक्ष्य शपथपत्र बतौर डी०डब्लू०–1 एवं बेचन खान का साक्ष्य शपथपत्र बतौर डी०डब्लू०–2 दाखिल किया गया, जिनसे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह अंकित की गयी।

14– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या–1 व 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। विपक्षी संख्या–2 लगायत 5 की

ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही नियत तिथि तक कोई लिखित अथवा मौखिक बहस प्रस्तुत की गयी।

15— आवेदक की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या—1 ल्यूनेटिक है एवं उसका चचेरा भाई है। विपक्षी संख्या—6 शातिर किस्म की एवं चालबाज है, जो उसकी सम्पत्ति को हड़पने के उद्देश्य से अपने आप को उक्त ल्यूनेटिक की पत्नी बता रही है। अतः प्रार्थना है कि आवेदक को उक्त ल्यूनेटिक के शरीर व सम्पत्ति का संरक्षक घोषित किया जावे, जबकि विपक्षी संख्या—1 व 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी संख्या—1 मानसिक अक्षम नहीं है एवं विपक्षी संख्या—6 उसकी कानूनन पत्नी है तथा आवेदक द्वारा झूठा वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना है कि आवेदक का आवेदन निरस्त किया जावे।

16— उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं परिलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया।

17— उभयपक्ष के अभिवचनों पर प्रस्तुत प्रकरण निस्तारण हेतु निम्न अवधार्य प्रश्न विचारणीय हैं—

1— क्या विपक्षी संख्या—1 तीरथराम उर्फ झगरू, बौद्धिक/मानसिक दिव्यांग व्यक्ति है, जो अपने शरीर एवं सम्पत्ति का प्रबंधन करने में असमर्थ है, जिस कारण उसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 14 एवं नेशनल ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत संरक्षक की आवश्यकता है?

2— क्या आवेदक को आवेदन—पत्र में कथित आधार पर उक्त ल्यूनेटिक के शरीर व सम्पत्ति का संरक्षक घोषित किया जा सकता है?

<u>निस्तारण अवधार्य प्रश्न संख्या—1</u>

अवधार्य प्रश्न संख्या—1 इस आशय का विचारणीय है कि क्या विपक्षी संख्या—1 तीरथराम उर्फ झगरू, बौद्धिक/मानसिक दिव्यांग व्यक्ति है, जो अपने शरीर एवं सम्पत्ति का प्रबंधन करने में असमर्थ है, जिस कारण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 14 एवं नेशनल ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत संरक्षक की आवश्यकता है?

इस अवधार्य प्रश्न के निस्तारण के आलोक में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक राजेन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद अंतर्गत धारा—14 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा नेशनल ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के अधीन इस न्यायालय में इस आशय से संस्थित किया गया है कि विपक्षी संख्या—1

तीरथराम उर्फ झगरू पैदाईशी ल्यूनेटिक, लो आई०क्यू० एवं लो अंडरस्टैंडिंग वाला व्यक्ति है, जिस कारण वह अपने शरीर, स्वास्थ्य, आर्थिक हितों एवं चल–अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई स्वतंत्र एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम नहीं है।आवेदक का यह भी कथन है कि विपक्षी संख्या–1 की उक्त मानसिक स्थिति का लाभ उठाकर कुछ व्यक्ति उसकी पैतृक सम्पत्ति पर अवैध अधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में विपक्षी संख्या–1 के हितों की रक्षा तथा उसकी सम्पत्ति के संरक्षण हेतु स्वयं आवेदक को संरक्षक नियुक्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। आवेदक ने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि विपक्षी संख्या–1 उसका चचेरा भाई है, वह उनके पालन–पोषण, चिकित्सा एवं सम्पत्ति की देखभाल करने का इच्छुक है। आवेदक के अनुसार यदि शीघ्र संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया तो विपक्षी संख्या–1 की सम्पत्ति के दुरुपयोग अथवा हड़प लिये जाने की प्रबल संभावना है। इसी आधार पर न्यायालय से प्रार्थना की गयी है कि उसे विपक्षी संख्या–1 के शरीर एवं सम्पत्ति का संरक्षक घोषित किया जाये।

आवेदक के उक्त कथनों का विपक्षी संख्या–1 एवं विपक्षी संख्या–6 द्वारा विस्तृत प्रतिवाद प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि विपक्षी संख्या–1 किसी प्रकार का मानसिक रोगी अथवा विधिक दृष्टि से अक्षम व्यक्ति नहीं है। यद्यपि उसकी बौद्धिक क्षमता सामान्य से कुछ कम हो सकती है, तथापि वह अपना हित–अहित समझने, दैनिक जीवन का संचालन करने, सामाजिक सम्बन्ध निभाने तथा अपनी सम्पत्ति का प्रबंधन करने में सक्षम है। विपक्षी संख्या–6 ने स्वयं को विपक्षी संख्या–1 की पत्नी बताते हुए यह भी कथित किया है कि वह अपने पति के साथ निवास कर रही है तथा दोनों का एक पुत्र भी है। आवेदक संरक्षक नियुक्त होकर विपक्षी संख्या–1 की सम्पत्ति पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है।

उभयपक्षों के उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान वाद का वास्तविक विवाद किसी सम्पत्ति के स्वामित्व का नहीं, बल्कि विपक्षी संख्या–1 की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता का निष्कर्ष निकालने का है। आवेदक राजेन्द्र ने अपने साक्ष्य शपथपत्र की दफा–3 में आवेदन–पत्र में वर्णित कथनों का समर्थन करते हुए यह तथ्य अंकित किया है कि तीरथराम उर्फ झगरू पैदाइशी ल्यूनेटिक है। वह लो आई०क्यू० एवं लो अण्डरस्टैन्डिंग वाला व्यक्ति है। पी०डब्लू०–1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य उद्घाटित किया गया है कि उसके द्वारा एक माह पहले तीरथराम उर्फ झगरू का ईलाज कराया गया था। डा० त्रिलोकी के यहां ईलाज कराया था। डा०

त्रिलोकी अभी जिन्दा हैं, उनके अस्पताल का नाम संगम अस्पताल है परन्तु आवेदक की ओर से अपने इस कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आवेदक की ओर से यह कथन किया गया है कि विपक्षी संख्या–6 कल्पना देवी की शादी तीरथराम उर्फ झगरू विपक्षी संख्या–1 से नहीं हुई थी परन्तु विपक्षी संख्या–6 की ओर से प्रस्तुत प्रमाणित प्रति नकल आदेश परिवार न्यायालय, बहराइच के अवलोकन से विदित होता है कि कल्पना देवी की ओर से तीरथराम के विरुद्ध वाद अंतर्गत धारा–9 हि०वि०अधि० संस्थित किया गया था, जिसमें उभयपक्ष द्वारा 28.04.2022 को न्यायालय के समक्ष सुलहनामा प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.2022 को तस्दीक किया गया है एवं तद्नुसार दिनांक 14.05.2022 को आदेश पारित करते हुए सुलहनामा स्वीकार किया गया है। उक्त वाद एवं सुलहनामा विपक्षी संख्या–6 एवं विपक्षी संख्या–1 द्वारा स्वतंत्र रूप से वादी एवं प्रत्यर्थी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि कि आवेदक द्वारा सूची दिनांकित 06.01.2026 के माध्यम से प्रमाणित प्रति सुलहनामा निरस्तीकरण दावा प्रस्तुत किया गया है, जिसके अवलोकन से विदित है कि आवेदक स्वयं को तीरथराम उर्फ झगरू का संरक्षक दर्शित कर उक्त दावा दायर किया है परन्तु आवेदक की ओर से उक्त दावा पर पारित कोई भी अंतिम आदेश अथवा अंतरिम आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे आवेदक के कथनों को बल मिलता हो एवं उक्त सुलहनामा को सक्षम न्यायालय द्वारा खण्डित किया गया हो।

आवेदक द्वारा यह कथन भी किया गया है कि गांव जवार के लोग उसकी सम्पत्ति हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, के समर्थन में सूची दिनांकित 12.09.2025 के माध्यम से छायाप्रति बैनामा दिनांकित 03.12.2024 नविस्ते बहक विक्रम यादव एवं तुलसीराम प्रस्तुत किया गया है किन्तु यह प्रपत्र छायाप्रति होने की दशा में साक्ष्य में अग्राह्य है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा कोई ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि विपक्षी संख्या–1 अपने दैनिक जीवन के सामान्य कार्य करने, आर्थिक लेन–देन करने अथवा अपनी इच्छा व्यक्त करने में पूर्णतः असमर्थ है। पी०डब्लू०–1 ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि विपक्षी संख्या–1 ने ऐसा कौन–सा व्यवहार किया है, जिससे यह निष्कर्ष निकल सके कि तीरथराम उर्फ झगरू ल्यूनेटिक है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क कि विपक्षी संख्या–1 तीरथराम उर्फ झगरू

की आपत्ति कागज संख्या ग–17 के किसी पृष्ठ पर तीरथराम उर्फ झगरू के निशानी अंगूठा अथवा हस्ताक्षर नहीं है, के सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि यद्यपि कि आपत्ति के किसी पृष्ठ पर तीरथराम उर्फ झगरू के निशानी अंगूठा अथवा हस्ताक्षर नहीं है परन्तु विपक्षी संख्या–1 की ओर से पत्रावली में सूची ग–18 के माध्यम से जो तीरथराम उर्फ झगरू के निशानी अंगूठा से युक्त है, से छायाप्रति पैन कार्ड ग–20, छायाप्रति आधार कार्ड कल्पना ग–21 प्रस्तुत किया गया है। कागज संख्या ग–20 तीरथराम उर्फ झगरू के नाम से जारी किया गया है एवं ग–21 में कल्पना के पति का नाम तीरथराम वर्णित है। साथ ही साथ विपक्षी संख्या–1 की ओर से वकालतनामा भी दाखिल है। ऐसी दशा में पक्षकार के निशानी अंगूठा अथवा हस्ताक्षर न होने मात्र से, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०–2 मुनीजर द्वारा भी वादपत्र का समर्थन अपने साक्ष्य शपथपत्र में किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह तथ्य उद्घाटित किया है कि उसने तीरथ को नहीं देखा है। तीरथ के परिवार के बारे में वह नहीं जानता है। इसी प्रकार साक्षी पी०डब्लू०–3 छोटे द्वारा अपने साक्ष्य शपथपत्र में वाद कथानक का समर्थन किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य उद्घाटित किया गया है कि तीरथ अपने घर में रहते हैं।

इसी प्रकार विपक्षी की ओर से प्रस्तुत साक्षी विपक्षी संख्या–6 कल्पना देवी स्वयं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र डी०डब्लू०–1 में वाद कथानक के विपरीत कथन किया गया है एवं आवेदक की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह तथ्य उद्घाटित किया है कि उसका खाना खर्चा उसके पति तीरथ उठाते हैं। तीरथ से उसका विवाह हुआ था। इसी प्रकार डी०डब्लू०–2 ने प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य उद्घाटित किया है कि तीरथ ने उसे गवाही देने के लिये फोन किया था। उसकी तीरथ से मुलाकात नहीं है, इसलिये वह नहीं बता सकता कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है।

प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय यह भी स्पष्ट करता है कि इस वाद में यह निर्णय नहीं किया जा रहा कि विपक्षी संख्या–6, तीरथराम उर्फ झगरू/विपक्षी संख्या–1 की विधिक रूप से पत्नी है अथवा नहीं; तथापि उसके कथनों का मूल्यांकन केवल इस सीमा तक किया जा रहा है कि विपक्षी संख्या–1 के दैनिक जीवन एवं व्यवहार के सम्बन्ध में वे क्या तथ्य प्रस्तुत करती हैं।

अतः उपरोक्त विश्लेषण से न्यायालय इस मत का है कि किसी व्यक्ति को

केवल "कम समझ वाला" कहना और उसे "निर्णय लेने में असमर्थ" सिद्ध करना दोनों अलग–अलग बातें हैं। प्रथम कथन सामान्य राय है जबकि दूसरा विधिक निष्कर्ष है, जिसे केवल ठोस साक्ष्य द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि विपक्षी संख्या–1 सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा कम बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति हो सकता है। किन्तु इन साक्षियों में से किसी ने भी यह तथ्य विश्वसनीय रूप से स्थापित नहीं किया कि विपक्षी संख्या–1 अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता है, उसे अपने परिवार के सदस्यों की पहचान नहीं है, वह आर्थिक निर्णय नहीं ले सकता है, वह अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं कर सकता है अथवा वह निरन्तर किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर है।

विपक्षी संख्या–1 स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा उसने अपने कथनों में आवेदक के आरोपों का खण्डन किया। उसने यह कहा कि वह किसी मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है तथा अपने दैनिक जीवन के कार्य स्वयं करता है। उसने यह भी कहा कि वह अपने पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्धों को समझता है तथा अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी जानकारी रखता है। आवेदक द्वारा इस साक्षी के उक्त साक्ष्य शपथपत्र के खण्डन में कोई तथ्य उद्घाटित नहीं किया गया है एवं न ही इस साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कर साक्ष्य अंकित किया गया अथवा न ही प्रतिपरीक्षा की गयी है। अतः विपक्षी संख्या–1 स्वयं ल्यूनेटिक का उक्त साक्ष्य एवं डी०डब्लू०–2 द्वारा प्रतिपरीक्षा में उद्घाटित तथ्य इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि वह सामाजिक संपर्क स्थापित करने में सक्षम है। वह अपनी पहचान, पारिवारिक स्थिति तथा सामान्य तथ्यों से पूर्णतः अनभिज्ञ नहीं है।

न्यायालय के आदेश से तथाकथित ल्यूनेटिक तीरथराम उर्फ झगरू (विपक्षी संख्या–1) का मेडिकल परीक्षण जिला चिकित्सालय, बहराइच में कराया गया है। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट मय समस्त प्रपत्र कागज संख्या ग–31/1 लगायत ग–31/8 पत्रावली में दाखिल है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच द्वारा पत्रांक संख्या–मु०चि०अ०/मेडिकल बोर्ड/2025–26/3148 दिनांकित 11.08.2026 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बहराइच की अध्यक्षता में पांच चिकित्सक/विशेषज्ञ क्रमशः डा०बी०के० जैन, रेडियोलाजिस्ट, डा० आशीष कुमार, फिजीशियन, डा० अब्दुल हन्नान, अस्थि रोग विशेषज्ञ, डा० शिशिर कुमार, सर्जन एवं डा० विजित जायसवाल, मानसिक रोग विशेषज्ञ का मेडिकल बोर्ड गठित करते हुए तीरथराम उर्फ झगरू का मेडिकल परीक्षण कराया गया एवं

के०जी०एम०यू०, लखनऊ में मानसिक परीक्षण कराया गया। कागज संख्या ग–31/3 मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि इसमें तीरथराम उर्फ झगरू के सम्बन्ध में निम्न आख्या अंकित है–

"As per report of IQ assesment (बुद्धिमत्ता परीक्षण) done by clinical Psychologist in KGMU vide OPD No. UHID20250397470 dated 12.08.2025, the above mentioned person was found to be having SQ/IQ= 80–84, indicated **BORDERLINE** deficite in intellectual and socioadaptive funtioning."

उपरोक्त मेडिकल रिपोर्ट के अनुक्रम में न्यायालय द्वारा विशेषज्ञ/चिकित्सक साक्षी सी०डब्लू०–1 डा० विजित जायसवाल, मानसिक रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, बहराइच एवं साक्षी सी०डब्लू०–2 देविका राजे , मानसिक रोग विशेषज्ञ, के०जी०एम०यू० को न्यायालय द्वारा तलब कर उनका बयान अंकित किया गया। साक्षी सी०डब्लू०–1 ने मुख्य परीक्षा में मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–3 को साबित करते हुए यह तथ्य स्वीकार किया है कि बोर्ड द्वारा मानसिक रोग विशेषज्ञ डा० देविका राजे की रिपोर्ट को कन्फर्म किया गया एवं पीड़ित लगभग 80–84 आई०क्यू० के बीच पाया गया, जिस आधार पर BORDERLINE DEFICIT IN INTELLECTUAL AND SOCIO–ADAPTIVE FUNCTIONARY अंकित किया गया है।

इस साक्षी के उपरोक्त साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य विद्यमान नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि तीरथराम उर्फ झगरू को कोई गंभीर मानसिक विकार पाया गया जिससे यह कहा जा सके कि वह वास्तविकता का बोध खो चुका है। इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि विपक्षी संख्या–1 अपनी इच्छा व्यक्त करने में असमर्थ है अथवा उसके लिए संरक्षक नियुक्त किया जाना चिकित्सकीय दृष्टि से अनिवार्य है।

इसी प्रकार साक्षी सी०डब्लू०–2 डा० देविका राजे द्वारा मुख्य परीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 13.08.2025 को उक्त पेशेन्ट का बौद्धिक परीक्षण उनके द्वारा किया गया था। परीक्षण रिपोर्ट कागज संख्या ग–31/4 पत्रावली में संलग्न है, जो उनके द्वारा तैयार किया गया था। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह तथ्य स्वीकार किया है कि तीरथराम उर्फ झगरू का मनोवैज्ञानिक परीक्षण में Raven's Coloured Progressive Matrices (CPM) तथा Vine land Social Maturity

Scale (VSMS) जैसे मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग किया गया। परीक्षण के आधार पर IQ लगभग 80–84 के मध्य पाया गया तथा निष्कर्ष में **"Borderline Deficits in Intellectual and Socio–Adaptive Functioning"** अंकित किया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा अथवा प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य नहीं उद्घाटित किया कि विपक्षी संख्या–1 गम्भीर अथवा मध्यम बौद्धिक दिव्यांगता (Moderate/Severe Intellectual Disability) से ग्रस्त है तथा शरीर अथवा सम्पत्ति का प्रबंधन करने में पूर्णतः असमर्थ है।

अतः उपरोक्त आख्या एवं साक्षियों के साक्ष्यिक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि चिकित्सक साक्षी/विशेषज्ञ द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया गया है, जिससे यह निष्कर्षित हो सके कि विपक्षी संख्या–1 तीरथराम उर्फ झगरू पैदाईशी ल्यूनेटिक है एवं वह अपना भला–बुरा समझने में असमर्थ है तथा जिस कारण उसके शरीर एवं सम्पत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु संरक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है।

अतः दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 14 एवं नेशनल ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी संख्या–1 हेतु किसी पक्ष को संरक्षक नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं है। तद्नुसार अवधार्य प्रश्न संख्या–1 निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण अवधार्य प्रश्न संख्या–2</u>

अवधार्य प्रश्न संख्या–1 इस आशय का विचारणीय है कि क्या आवेदक को आवेदन–पत्र में कथित आधार पर उक्त ल्यूनेटिक के शरीर व सम्पत्ति का संरक्षक घोषित किया जा सकता है?

प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी संख्या–6 द्वारा तीरथराम की पत्नी होने का कथन किया गया है, जबकि आवेदक द्वारा उसे कूट–रचित तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम परिवार रजिस्टर में स्थापित कराना कहा है परन्तु आवेदक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके उसके द्वारा परिवार रजिस्टर के फर्जी होने हेतु कोई शिकायत सक्षम प्राधिकारी को की गयी हो। विपक्षी संख्या–6 द्वारा स्वयं को विपक्षी संख्या–1 के साथ निवासरत बताते हुए उसके दैनिक जीवन एवं देखभाल के सम्बन्ध में कथन किया गया है, जिसका भी खण्डन आवेदक द्वारा नहीं किया गया है।

धारा 13 का मूल सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को अन्य नागरिकों के समान विधिक मान्यता प्राप्त है। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांगता मात्र के कारण किसी व्यक्ति की विधिक क्षमता समाप्त न कर दी जाए। न्यायालय का मत है कि यदि कोई व्यक्ति बौद्धिक रूप से सीमित क्षमता रखता है, तब भी प्रथम दृष्टया यह माना जाएगा कि वह विधिक रूप से सक्षम है, जब तक कि उसके विपरीत अत्यन्त स्पष्ट एवं ठोस साक्ष्य उपलब्ध न हों।

धारा 14 संरक्षक नियुक्ति का प्रावधान करती है, किन्तु यह प्रावधान असाधारण परिस्थितियों के लिए है। इस धारा का उद्देश्य किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करना नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सीमित संरक्षकता उपलब्ध कराना है। धारा 14 का आशय यह नहीं है कि प्रत्येक कम आई०क्यू० वाला व्यक्ति संरक्षक नियुक्त किये जाने योग्य हो जाएगा। संरक्षक तभी नियुक्त किया जा सकता है जब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि व्यक्ति को निर्णय लेने में वास्तविक सहायता की आवश्यकता है तथा संरक्षक नियुक्त करना उसके सर्वोत्तम हित में है।

चूंकि अवधार्य प्रश्न संख्या–1 के निस्तारण में यह तथ्य पाया गया है कि आवेदक अपने वाद कथानक एवं साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित नहीं कर सका है कि कथित ल्यूनेटिक को वास्तविकता में संरक्षक की आवश्यकता है तथा पत्रावली में उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य व विशेषज्ञों के साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि उक्त विपक्षी संख्या–1 में बौद्धिक स्तर की कमी पायी गयी है परन्तु उक्त कमी इस स्तर की नहीं है कि उसके शरीर व सम्पत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु संरक्षक नियुक्त किया जावे। तद्नुसार अवधार्य प्रश्न संख्या–2 निस्तारित किया जाता है।

18– अतः उपरोक्त विश्लेषण से न्यायालय इस निष्कर्ष का है कि आवेदक आवेदन–पत्र में कथित आधार पर तीरथराम उर्फ झगरू को ल्यूनेटिक साबित करने में असफल रहा है एवं जिस कारण वह उक्त ल्यूनेटिक के शरीर व सम्पत्ति का संरक्षक नियुक्त किये जाने का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1– आवेदक राजेन्द्र की ओर से विपक्षी संख्या–1 श्री तीरथराम उर्फ झगरू निवासी ग्राम टेपरा, दा० हेमरिया, परगना फखरपुर, तहसील महसी, जिला बहराइच के शरीर एवं सम्पत्ति का संरक्षक नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद

अंतर्गत धारा 14 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं नेशनल ट्रस्ट ऐक्ट, 1999, निरस्त किया जाता है।

2– पक्षकार अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

3– बाद आवश्यक कार्यवाही प्रकीर्ण पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–22.07.2026

(अनिल कुमार–XII)
अपर जिला न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–द्वितीय/
विशेष न्यायाधीश,
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, बहराइच
JO Code–UP1830

यह निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–22.07.2026

(अनिल कुमार–XII)
अपर जिला न्यायाधीश, एफ०टी०सी०–द्वितीय/
विशेष न्यायाधीश,
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, बहराइच
JO Code–UP1830